हरिजन बाहुल्य प्रदेश में कुछ न कुछ जजों की नियुक्ति आदिवासियों और हरिजनों में से हो ?

श्री हंस राज भारद्वाज : श्रीमान जी, मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि जहां तक सरकार की नीति है, हमारी शेड्यूल्ड कास्टस और शेड्यूल्ड ट्राइब्ज, बेकवर्ड क्लास के लिए बहुत भारी कमिटमेंट है कि उनको आगे लाया जाय। जहां तक रिजर्वेशन का प्रश्न है.... **(व्यवधान)**...

श्री राम अवधेश सिंह : रिजर्वेशन का नहीं है.... **(व्यवधान)**...

श्री हंस राज भारद्वाज : आप सुना तो करें। मैंने पहले अर्ज किया था कि रिजर्वेशन प्रोवाइडेड नहीं है कंस्टीट्यूशन में। लेकिन जहां तक नीति है, वह स्पष्ट है, हम शेड्यूल्ड कास्ट से जज पहली बार सन् 1980 में सुप्रीम कोर्ट में लाए। उससे पहले सुप्रीम कोर्ट में शेड्यूल्ड कास्ट का कोई जज नहीं था। उसके बाद हमने हाईकोर्ट में भी शुरू किया सुप्रीम कोर्ट में तो आज भी है। उसके बाद हमने शेड्यूल्ड ट्राइब्ज का पहला जज सन् 1980 में असम में बनाया। उसके बाद 6 या 7 हरिजन जज एड किए दूसरे हाई-कोर्ट में। चूंकि यह नीति है सरकार की कि हम हरिजन, आदिवासी और बेकवर्ड क्लासेज के आदमी आगे लाएं। तो हम चीफ मिनिस्टर, चीफ जस्टिस और गवर्नर साहबान से मिलकर भी यही अनुरोध करते हैं कि जहां तक हो सके इनको आगे लाया जाय।

श्री अजीत जोगी : मान्यवर, लगभग एक साल पहले भी मैंने यह प्रश्न पूछा था और जवाब यही मिला था कि मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में चार जजों को नियुक्ति होना शेष है। एक साल के बाद भी स्थिति वही बनी हुई है और यह कहा गया है कि जजों की नियुक्ति की जो प्रक्रिया है, वह बहुत लंबी है। इसलिए इन चार जजों की नियुक्ति नहीं हो पा रही है, "जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड"। इसलिए और चूंकि मध्य प्रदेश में हजारों की संख्या में प्रकरण लंबित हैं, तो मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या कोई निश्चित समयावधि बताई जायेगी, जिसके अंतर्गत इन चार जजों की नियुक्ति हो जाएगी ?

श्री हंस राज भारद्वाज : श्रीमान् जी, जहां तक मध्य प्रदेश की चार वेकेन्सीज का ताल्लुक है, हम इनमें काफी एडवांस स्टेज पर पहुंच चुके हैं और इसमें जल्दी ही नियुक्तियां हो जाएंगी।

श्री भगत राम मनहर : सभापति महोदय, अभी मंत्री जी ने बताया कि दिशा-निर्देश के अनुसार नाम राज्य सरकारों से मांग रहे हैं। जहां तक इन वर्षों की नीति की बातें हैं, राज्य सरकार कछुए की चाल चलती है और काम करने में कोई दिलचस्पी नहीं लेती है, तो उन्हें खरगोश की चाल चलाने के लिए मंत्री महोदय क्या-क्या उपाय कर रहे हैं ?

श्री हंस राज भारद्वाज : श्रीमान् जी, मैं तो एक ही निवेदन कर सकता हूं कि कोई नाम माननीय एम० पी० साहबान भी दें तो हम उसे जेट स्पीड से सरकार के पास भेज देंगे।

कुमारी सईदा खातून : सर, महिलाओं के लिए भी रखा जाय।

श्री सुरेश पचौरी : माननीय सभापति जी, चूंकि प्रश्न मध्य प्रदेश से संबंधित है....

MR. CHAIRMAN: Question Hour is over.

WRITTEN ANSWERS TO QUESTION

Prime Minister's Meeting with the Leading Economists

*424. SHRI R. SAMBASIVA RAO: Will the Minister of PLANNING be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the Prime Minister recently held a meeting with the leading economists of the country;

(b) whether it is also a fact that several changes in the planning strategy were decided;

(c) if so, what are the details thereof; and

(d) whether it is also a fact that it has been decided to have a more effective but a thinner planning body?

THE MINISTER OF PLANNING AND THE MINISTER OF PROGRAMME IMPLEMENTATION (SHRI P. SHIV SHANKER): (a) The Prime Minister had an informal meeting on January 11, 1988 with a group of economists, industrial managers and journalists to acquaint himself with their ideas on economic issues and perspectives.

(b) to (d) No decisions were taken at this informal meeting, as it was not a decision-making forum.

सेना आयुध कोर में कार्यरत पैकरों के संबंध में मध्यस्थम पंचाट

*426. श्रीमती कैलाशपति : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या श्रम मंत्रालय द्वारा गठित किए गए माध्यस्थम बोर्ड ने सेना आयुद्ध कोर में कार्यरत पैकरों के संबंध में 1 नवम्बर, 1985 को कोई पंचाट दिया था ;

(ख) क्या सरकार ने इस पंचाट को कार्यान्वित कर दिया है ; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके कब तक कार्यान्वित किए जाने की संभावना है ?

रक्षा मंत्री (श्री के० सी० पंत) : (क) जी, हां ।

(ख) अभी नहीं ।

(ग) मध्यस्थ निर्णय में निम्नलिखित बातें हैं :—

(i) विशेष पैकरों को 1-6-1983 से 330-480 रुपये का वेतनमान दिया जाए । विशेष पैकरों के पदों की संख्या पैकरों की संख्या के 20% से कम नहीं होगी ।

(ii) पैकरों को 1-6-1983 से 260-400 रुपये का वेतनमान दिया जाए ।

(iii) वास्तविक रूप से पैकिंग का काम करने वाले मजदूरों और उन मजदूरों को, जिन्हें पैकिंग का काम सौंपा गया है और जो इस काम को कर रहे हैं, 1 दिसम्बर, 1985 से 210-290 रुपये का वेतनमान दिया जाए ।

इस मामले में अंतिम निर्णय लगभग लिया ही जाने वाला है ।

*429. [*Transferred to the 29th March*, 1988.]

Ordnance Factory at Bolangir, Orissa

*430. SHRI J. P. GOYAL: Will the Minister of DEFENCE be pleased to state:

(a) what is the progress so far made in the establishment of an ordnance factory at Bolangir in Orissa for manufacture of shells for the Bofors 155 MM field gun;

(b) the total amount so far given by the Central Government for the said project;

(c) the time when the preliminary work in this regard was started;

(d) what are the reasons for delay in the establishment of the ordnance factory and by when it is proposed to be set up and commissioned; and

(e) whether it is proposed to conduct an inquiry in the irregularities and delay in this regard and to improve the situation?

THE MINISTER OF DEFENCE (SHRI K. C. PANT): (a) On the basis of the 'go-ahead' sanction given in Oct. 84 in respect of the ordnance filling factory at Bolangir, certain preliminary activities of an urgent nature requiring long lead-time were taken up, in respect of which consderable progress has been made.

(b) The 'go-ahead' sanction issued in Oct. 84 was for Rs. 25 crores, with commitment expenditure upto Rs. 50 crores. These limits were subsequently enhanced in Mar. 87.